राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	09/2013 सलीम खां / सरकार हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.12.17	आज यह पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई। अभिभाषक पक्षकारान् की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अभिभाषक अपीलार्थी ने बहस में निवेदन किया कि तहसीलदार सांगानेर द्वारा दिनांक 31/7/1992 को धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम के तहत् कार्यवाही करते हुये प्रार्थी / अपीलार्थी को पश्चातवर्तीय अतिक्रमी बाबत् ख.न. 22/1 रकबा 5 बीघा चरागाह भूमि स्थित ग्राम उदयपुर गिलारिया 42 पेड उगाकर अवैध कब्जा करने की वजह से 3 माह की सजा व 248 रुपये शास्ती से दण्डित किया। उक्त आदेश के विरुद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई, जिसके राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा दिनांक 19/7/96 को आदेश पारित करते हुये तहसीलदार द्वारा पारित आदेश को बहाल रखा गया। राजस्व अपील प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध राजस्व मण्डल में निगरानी याचिका प्रस्तुत की गई, जिसमे मण्डल द्वारा निर्णय पारित किया गया कि मण्डल के निर्णय की दिनांक से एक माह के भीतर प्रार्थी वादग्रस्त आराजी का कब्जा छोडकर शास्ती की राशि राजकोष में जमा करा देता है तो उसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो सिविल कारावास से दण्डित किया से मुक्त समझा जावेगा अन्यथा अधिनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत समझा जावेगा। राजस्व मण्डल द्वारा पारित	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

सलीमखाँ / सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09/2013		

आदेश दिनांक 22/8/96 के विरुद्ध प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा एक रिट याचिका माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा राजस्व मण्डल के आदेश को यथावत रखते हुये खारिज कर दिया गया, जिसके विरुद्ध उच्च न्यायालय मे डी बी के समक्ष विशेष याचिका भी प्रस्तुत की गई, किन्तु प्रार्थी के अभिभाषक द्वारा दिनांक 05/10/2006 को उसे वापिस ले लिया गया तत्पश्चात प्रार्थी ने प्रश्नगत आराजी से अपना कब्जा भी हटा लिया है। प्रार्थी ने बहस मे यह भी उल्लेख किया कि ग्राम उदयपुर भिलारिया तहसील सांगानेर में ख.न. 221 रकबा 5 बीघा का कोई खसरा नम्बर पुराना न तो मौजूद था और ना ही बनाया गया, जिसके सम्बन्ध में इसके नकल के प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट भी अंकित है। इसके बावजूद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उसके विरुद्ध सिविल कारावास का आदेश पारित कर दिया गया जबकी प्रार्थी शास्ती की रकम जमा कराने के लिये तत्पर रहा है। अतः अधिनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त फरमाते हुये शास्ती की रकम राजकोष मे जमा करने हेतु आदेश फरमाये जावे।

अभिभाषक प्रत्यर्थी-2 पैरोकार सरकार ने बहस में निवेदन किया कि माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पारित आदेश की अनुपालना अपीलार्थी द्वारा

सलीम खॉं / सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09/2013	नहीं किये जाने पर आदेश जैर अपील पारित किया गया है जो उचीत है। अत: अपील खारिज करमाई जावे। हमने बहस उभयपक्षकारान पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। विचाराधीन प्रकरण में पूर्व में धारा 91 भू राजस्व अधिनियम की कार्यवाही होते हुये प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल तक निगरानी याचिका के रूप में गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध माननीय राजस्व मण्डल अजमेर का आदेश दिनांक 22/8/96 उपलब्ध है जिसके विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा स्वयं ने अपने कथन में एवं पत्रावली पर उपलब्ध आदेश माननीय उच्च न्यायालय दिनांक 10/8/2005 से स्पष्ट है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा राजस्व मण्डल का आदेश बहाल रखा गया है एवं माननीय राजस्व मण्डल के आदेश अनुसार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका आंशिक रूप से इस शर्त के साथ स्वीकार की गई कि यदि राजस्व मण्डल के आदेश की दिनांक से एक माह के भीतर प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का कब्जा छोडकर शास्ती की राशि राजकोष मे जमा करा देता है तो उसे जो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है, उससे मुक्त समझा जावे अन्यथा अधिनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत समझा जावेगा। विचाराधीन	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09/2013	सलीम खाँ / सरकार	
	अपील में अपीलार्थी द्वारा जिस आदेश को चुनौती दी गई है वह माननीय राजस्व मण्डल के आदेश दिनांक 22/8/96 द्वारा पारित आदेश की पालना अपीलार्थी द्वारा नही किये जाने से पारित किया गया है जो एक उचीत आदेश है, जिसमे इस न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप नही किया जा सकता। अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश यथावत रखते हुये अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 08.12.17 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।	